

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).





125

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक/ 787 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक / / 2020

✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी(CHIPS)
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के रायगढ़ वनमण्डल के बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लाक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.329 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वनभूमिरकबा 8.477 हे.कुल भूमि 8.806 हे. का FRA प्रतिवेदन मार्ग समानांतर प्रस्तावित आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर के नाम से प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर के पत्र क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/33 रायपुर दिनांक 28.01.2020।

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत रायगढ़ जिला क्षेत्र के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांगत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लाक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है।

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.)	मद(छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	रिमार्क
1	बरमकेला	डोंगरीपाली	183 / 1	0.020	छोटे झाड़ के जंगल	
2	बरमकेला	झिंकीपाली	257	0.010		
3	बरमकेला	सोनबला	79 / 1	0.001		
4	बरमकेला	सोनबला	86	0.002		
5	बरमकेला	सोनबला	89	0.007		
6	बरमकेला	सोनबला	97	0.008		
7	बरमकेला	दमदमा	271	0.005		
8	बरमकेला	दमदमा	273	0.001		
9	बरमकेला	दुलापाली	33	0.011		
10	बरमकेला	मानिकपुर	278 / 2	0.014		
11	बरमकेला	रोहेनापाली	8	0.002		
12	बरमकेला	आमाकोनी बड़े	159 / 1	0.009	छोटे झाड़ के जंगल	
13	बरमकेला	डभरा	445	0.002		
14	बरमकेला	डभरा	475 / 2	0.013		
15	बरमकेला	अमलीपाली	81 / 3	0.002		
16	बरमकेला	टेंकापत्थर	73 / 1	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
17	बरमकेला	टेंकापत्थर	55 / 1	0.002		
18	बरमकेला	तरेकेला	18 / 1	0.008		
19	बरमकेला	तरेकेला	22	0.009		

20	रायगढ़	जामगांव	712 / 1क	0.041	छोटे झाड़ के जंगल	
21	रायगढ़	जामगांव	200 / 1	0.017		
22	रायगढ़	सपनई	69	0.001		
23	रायगढ़	सपनई	71	0.001		
24	रायगढ़	सपनई	163	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
25	रायगढ़	भगोरा	340 / 1	0.012	छोटे झाड़ के जंगल	
26	रायगढ़	दनौट	191	0.001		
27	तमनार	गदगांव	63	0.014		
28	तमनार	गदगांव	47	0.011		
29	तमनार	उरबा	277 / 1	0.016	बड़े झाड़ के जंगल	
30	तमनार	उरबा	403 / 1	0.052	छोटे झाड़ के जंगल	
31	तमनार	उरबा	415	0.016		
32	तमनार	जोबरो	256 / 9	0.008		
33	तमनार	लिबरा	201 / 3	0.008		
योग			33	0.329		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वनभूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ. क्रमांक / 787A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 7/7/2020

1. सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ।